वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रा. लि. रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा बलौदाबाजार–भाटापारा जिले के बलौदाबाजार वनमण्डल अंतर्गत कसडोल– कुहरी, कसडोल– अठारहगुड़ी एवं कसडोल– पण्डरीपानी मुख्य मार्गो के समानांतर कुल 134.100 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे (Row) अंतर्गत ऑटिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 2.027 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 0.209 हे. नारंगी क्षेत्र 0.064 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.050 हे.; कुल आवेदित वन एवं राजस्व वन भूमि 2.350 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर के अभिमत से सहमत होते हुए आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 2.350 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 16/11/2022
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(संजय शुक्ला) 16/11/2022
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः **apccf-lm.cg@gov.in**

क्र./भू–प्रबंध/ विविध–1ए/115–928–ए/ 2658 दिनांक 17/11/2022

प्रति,

प्रमुख सचिव
छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :– **बलौदाबाजार जिले के बलौदाबाजार वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु जियो डिजिटल फाईबर प्रा. लि. द्वारा Laying of OFC along with RoW (Read Cordridor) under Network strengthening and Providing Connection to Rural Areas in Balodabazar-Bhataapara District of Chhattisgarh हेतु क्षेत्रफल 2.350 हे. व्यपवर्तन प्रस्ताव बाबत् ।**
पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/ 153020/ 2022

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर का पत्र क्रमांक/ तक.शा./ विविध/ 11726 दिनांक 09.11.2022

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग –3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड्ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	**आवेदक विभाग का मांग पत्र–** आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रा. लि. रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भाटापारा–बलौदाबाजार जिले के बलौदाबाजार वनमण्डल अंतर्गत कसडोल–कुहरी, कसडोल–अठारहगुड़ी एवं कसडोल–पण्डरीपानी मुख्य मार्गो के समानांतर कुल 134.100 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ –वे (ROW) अंतर्गत ऑटिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 2.027 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 0.209 हे. नारंगी क्षेत्र 0.064 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.050 हे.; कुल आवेदित वन एवं राजस्व वन भूमि 2.350 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है।	1
2.	**रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रतिः–** प्रस्ताव का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक **FP/CG/OFC/ 153020/ 2022** आबंटित किया गया है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क रूपये 6000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 29000/– कुल रू. 35,000/– जमा कराया गया है।	2–9
3.	**वन क्षेत्र का विवरणः–** आवेदनकर्ता जियो डिजिटल फायबर प्रा.लि. रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भाटापारा–बलौदाबाजार जिले के बलौदाबाजार वनमण्डल अंतर्गत ऑटिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 2.027 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 0.209 हे. नारंगी क्षेत्र 0.064 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.050 हे.; कुल आवेदित वन एवं राजस्व वन भूमि 2.350 हे. के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।	10 –13
4.	**गैर वन क्षेत्र विवरणः–** बलौदाबाजार वनमण्डल अंतर्गत कसडोल–कुहरी, कसडोल–अठारहगुड़ी एवं कसडोल–पण्डरीपानी मुख्य मार्गो के समानांतर कुल 134.100 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ –वे अंतर्गत ऑटिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित गैर वनक्षेत्र का कुल रकबा 4.354 हे. है।	14–15

5.	**व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर:**— प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का **1:50000 स्केल का** मानचित्र संलग्न है।	16–17
6.	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप:**— व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का इंडेक्स 1:50000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।	18–27
7.	**प्रपत्र–4 में प्रस्ताव:**— प्रपत्र – 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 3 करोड़ 90 लाख रू. बतायी गई है। यूजर एजेंसी ने कथन किया गया है कि बलौदाबाजार वनमण्डल अंतर्गत कसडोल–कुहरी, कसडोल– अठारहगुड़ी एवं कसडोल–पण्डरीपानी मुख्य मार्गो के अंतर्गत आने वाले लगभग 50,000 लोग लाभान्वित होंगे तथा इस कार्य से 2500 मानव दिवस रोजागर सृजित होंगे।	28–36
8.	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप:**— मेसर्स जियो डिजीटल फायबर प्रा. लि. द्वारा बलौदाबाजार वनमण्डल अंतर्गत कसडोल–कुहरी, कसडोल– अठारहगुड़ी एवं कसडोल–पण्डरीपानी मुख्य मार्गो के समानांतर 134.100 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है। मोबाईल नेटवर्क कनेक्टिविटी का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण से लगभग 51 ग्रामों एवं उससे लगे अन्य ग्रामों में शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार सृजन के अवसर में वृद्धि होकर उस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास होगा।	37
9.	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र:**— प्रस्ताव में आवेदक संस्थान द्वारा प्रदायित न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	38
10.	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही:**— इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।	39
11.	**वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा:**— प्रपत्र–3 पर वन मंडलाधिकारी बलौदाबाजार द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत दिनांक 22.07.2022 से प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी, बलौदाबाजार. के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त द्वारा दिनांक 04.08.2022 से वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है।	40–50
12.	**ऐतिहासिक स्थल प्रमाण पत्र:**— प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहा है। वन मंडलाधिकारी, बलौदाबाजार एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	51
13.	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक/एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010):**— आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रा. लि. रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भाटापारा–बलौदाबाजार जिले के बलौदाबाजार वनमण्डल अंतर्गत कसडोल–कुहरी, कसडोल– अठारहगुड़ी एवं कसडोल–पण्डरीपानी मुख्य मार्गो के समानांतर कुल 134.100 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ –वे अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 2.027 हे., संरक्षित वन भूमि रकबा 0.209 हे. नारंगी क्षेत्र 0.064 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.050 हे.; कुल आवेदित वन एवं राजस्व वन भूमि 2.350 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।	52–75
14.	**जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में:**— बलौदाबाजार–भाठापारा जिले के बलौदाबाजार वनमंडल अंतर्गत कुल वन भूमि रकबा 140330.018 हे. है।	76
15.	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में:**— बलौदाबाजार वनमंडल के अंतर्गत स्वीकृत 04 प्रकरणों में 51.311 हे. वनभूमि का व्यपवर्तन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत किया गया है।	77
16.	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में:**— व.स.अ.–1980 तहत बलौदाबाजार–भाठापारा जिले के बलौदाबाजार वनमंडल के अंतर्गत इसी श्रेणी के एक भी प्रकरण स्वीकृत नहीं हुए है।	78

17.	**प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक/ एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010):–** प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हॉथी कॉरीडोर प्रस्तावित नहीं है एवं अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति स्थापित नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, बलौदाबाजार एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	79
18.	**वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक/F.No. 11–9/1998 दिनांक 03/08/2009):–** आवेदित क्षेत्र के लिये आवेदक संस्थान द्वारा कलेक्टर जिला बलौदाबाजार–भाटापारा से वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 26.10.2021 से आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार के गाईड लाईन दिनांक 26.02.2019 अनुसार प्रथम चरण स्वीकृति पश्चात उपलब्ध करा दिया जावेगा। तदाशय का आवेदक का वचन पत्र संलग्न है।	80–82
19.	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र कमांक भू–प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):–** प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर बलौदाबाजार–भाटापारा के पत्र क्रमांक 881 दिनांक 05.07.2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है। जो प्रस्ताव में संलग्न है।	83–85
20.	**पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र कमांक/एफ–7–22/2009/10–2 दिनांक 31/07/2009):–** विवरण चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक–2 अनुसार है।	86
21.	**राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा:–** ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के अंतर्गत 10 कि. मी. की परिधि में वन्यप्राणी क्षेत्र प्रस्तावित नहीं होने से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।	87

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ का अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– 1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
3. भाग–4
4. टाईम लाईन

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध–1ए/115– 928–ए/2659

रायपुर, दिनांक 17/11/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, बलौदा बाजार वन मंडल, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़।
3. **महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)** ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़